IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(54)पट्टा अभि/विधि/पंरा/2017/**360** जयपुर, दिनांकः**03.5.2017**

1. ज़िला कलेक्टर,
   समस्त, (राजस्थान) ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।

विषय :— दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान बाबत।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि **''दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान''** के दौरान जारी होने वाले समस्त पट्टों पर अभियान का नाम एवं दीनदयाल शताब्दी वर्ष का लोगो अंकित किया जाये । अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पट्टा प्रारूप के नमूने के अनुसार पट्टा अभियान का नाम एवं दीनदयाल शताब्दी वर्ष का लोगो, अभियान के दौरान जारी होने वाले समस्त पट्टों पर अविलम्ब अंकित/मुद्रित करवाया जाना सुनिश्चित करायें ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब तक ग्राम पंचायतों के पट्टों पर उक्तानुसार अभियान का नाम एवं लोगो अंकन/मुद्रण का कार्य सम्पन्न हो तब तक इस अवधि में आयोजित होने वाले शिविरों में वर्तमान व्यवस्था अनुरूप ही संबंधित को पट्टे जारी किये जायें।

संलग्नः— **उपरोक्तानुसार।**

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ।
3. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।
7. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय ।

उप शासन सचिव (विधि)

दीनदयाल उपाध्याय
ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान

प्ररूप–23–क
(नियम 157(1) देखिये)
आवासीय भूमि का पट्टा
ग्राम पंचायत ....
पंचायत समिति ....
जिला .... (राजस्थान)

यह विलेख आज दिनांक.................. को प्रथम पक्ष, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत (पंचायत का नाम) – (जिसे इसमें .... पश्चात् ''आवंटन प्राधिकारी'' कहा गया है) और दूसरे पक्ष श्री/श्रीमती/सुश्री........................... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आवंटिती'' कहा गया है) के बीच किया जाता है।

इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि, जो उसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, आवंटन के प्रयोजन के लिए आवंटन प्राधिकारी में निहित है।

यह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर श्री/श्रीमती.............................. पुत्र/पत्नी.................... के पक्ष में जारी किया जाता है :–

1. पूर्वोक्त आवंटिती का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है/पंचायत आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले पचास वर्षो के दौरान संनिर्मित किया गया है। आवंटिती द्वारा एक सौ/दो सौ रूपये की फीस निक्षिप्त कर दी है।
2. उपाबद्ध मानचित्र योजना में भूमि का क्षेत्र लाल स्याही से चिह्नित है।
3. आवंटिती घर के पुननिर्माण के लिए उधार देने के लिए दस्तावेज सरकारी उपक्रम सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था के पास बंधक रख सकता है।
4. आवंटिती सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करों या अन्य प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

संकल्प सं. .... की अनुपालना में आज दिनांक .... को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर सरपंच

सीमांकन :–
1. उत्तर ....
2. दक्षिण ....
3. पूर्व ....
4. पश्चिम ....

मानचित्र : (मानचित्र में दर्शित भूमि लाल स्याही से सीमांकित है)

माप

उत्तर की ओर ....

दक्षिण की ओर ....